भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3479

उत्तर देने की तारीख : 24.03.2022

एमएसएमई क्षेत्र के लिए पारिस्थितिकी तंत्र

3479. श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **:** एमएसएमई क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) : क्या सरकार ने एमएसएमई नीति का मसौदा तैयार किया है;

(ग) **:** यदि हां, तो इस नीति की विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) : यह नीति कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क): सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के विकास हेतु एक जीवंत इकोसिस्टम बनाने के लिए एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन, विकास और इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपये का अधीनस्थ ऋण; (ii) एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) (जिसे बाद में बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार बढाकर 5 लाख करोड़ रुपये किया गया था); (iii) आत्मनिर्भर भारत कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये का इक्विटी समावेशन; (iv) संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में निवेश और टर्नओवर के समग्र मानदंड के आधार पर एमएसएमई का नया संशोधित वर्गीकरण; (v) 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होना आदि शामिल हैं।

उपरोक्त उपायों के अलावा, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं को लागू किया जाता है। इन योजनाओं और कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार की निधि योजना (स्फूर्ति), नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन योजना (एस्पायर), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, सरकार ने 2022-23 के बजट में एमएसएमई के लिए निम्नलिखित पहलों की घोषणा की थी:-

(i) क्रेडिट सुविधा, कौशल और भर्ती प्रक्रिया के लिए उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा। (ii) आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और इसके गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाएगा और यह अतिरिक्त राशि विशेष रूप से आतिथ्य और तत्संबंधी उद्यमों के लिए निर्धारित की गई है। (iii) एमएसई के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण की सुविधा और रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए आवश्यक निधियों के साथ सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजना का पुनर्निर्धारण किया जाना है। (iv) 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एमएसएमई प्रदर्शन (रैम्प) कार्यक्रम को बढ़ाने और तेज करने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है।

(ख) से (घ) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई के लिए नीति का मसौदा तैयार करने का कार्य भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) नई दिल्ली को क्रियाकरण हेतु सौंपा था और आईआईपीए ने जुलाई, 2021 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आईआईपीए द्वारा प्रस्तुत किए गए मसौदे की कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं (i) एमएसएमई क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए एक जीवंत इकोसिस्टम के निर्माण की सुविधा प्रदान करना; (ii) भौतिक आधारभूत संरचना और बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज बनाना; (iii) सुलभ प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए एक फ्रेमवर्क विकसित करना; (iv) एक अनुकूल कारोबारी माहौल आदि को बढ़ावा देना आदि। एमएसएमई नीति का उद्देश्य घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने के लिए आय, रोजगार आदि सृजित करने हेतु एमएसएमई क्षेत्र की दक्षता और उत्पादकता को प्रोत्साहित करना है। हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए नीति के मसौदे को मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

*****